

**SUMMARY TRIAL UNDER SECTION 263 OR 264 OF THE
CRIMINAL PROCEDURE CODE, 1898**

In the Court of S.K.Kaushal, J.M.F.C. Mehgaon Dist. Bhind (M.P.)
Case No. -Sum/01/2019- Complaint or report made on. -02-01-2019
Name and address of the complainant Police Station Bharoli...

Name, praentage, caste and address of accused

नाम:— संजीव सिंह
पिता का नाम:— रामप्रकाश बघेल
उम्र:— 24 वर्ष
निवासी :- पाखर का पुरा, थाना भारौली जिला भिण्ड म0प्र0।

The offence complanted of, and date of its alleged commssion

आपने दिनांक 07.11.2018 को 13.35 बजे, स्थान—पाखर का पुरा, थाना भारौली, जिला भिण्ड पर अपने आधिपत्य में बिना अनुज्ञापत्र के 20 क्वाटर देश शराब प्लेन के रखे हुए पाए गए थे।

आपका उक्त कृत्य म.प्र. आबकारी अधिनियम की धारा 34(1)(क) के अंतर्गत दण्डनीय अपराध है तथा इस न्यायालय के संज्ञान के अंतर्गत है।

आपको अपराध स्वीकार है या विचारण चाहते हैं?

(एस0के0कौशल)
न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी
मेंहगांव, जिला भिण्ड (म.प्र.)

The plea of the accused and his examination (if any)

आरोपी का अभिवाक—

(एस0के0कौशल)
न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी
मेंहगांव, जिला भिण्ड(म.प्र.)

The offence proved, if any, and in case under clause,(d) clause (e) clause (f) or clause (g) of Sub-section (i) of Section 260 the value of the property in respect of which the offence has been committed.

—: निर्णय :-

(आज दिनांक 02.01.2019 को घोषित)

1— आरोपी के विरुद्ध धारा 34(1)(क) म.प्र. आबकारी अधिनियम के अंतर्गत दण्डनीय अपराध का आरोप है।

2— आरोपी ने स्वेच्छयापूर्वक आरोप स्वीकार किया है। अतः उसकी स्वीकारोक्ति के आधार पर धारा 34(1)(क) म.प्र. आबकारी अधिनियम के तहत दोष सिद्ध पाते हुये 2000/-रुपये के अर्थदण्ड से एवं न्यायालय उठने तक के कारावास से दंडित किया जाता है। अर्थ दण्ड अदा न करने की दशा में आरोपी को 15 दिवस का साधारण कारावास भुगताया जायेगा।

3— प्रकरण में जप्तशुदा 20 क्वाटर देशी शराब प्लेन के अपील अवधि पश्चात् नष्ट किये जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित
व दिनांकित कर घोषित किया गया।

मेरे बोलने पर टंकित

(एस0के0कौशल)
न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी
मेंहगांव, जिला भिण्ड (म.प्र.)

(एस0के0कौशल)
न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी
मेंहगांव, जिला भिण्ड (म.प्र.)